प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 25 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जसवन्त उर्फ कालिया पुत्र श्री दरबारी लाल निवासी जनपद-मैनपुरी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-705/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-31.12.2024), दिनांक 07.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जसवन्त उर्फ कालिया पुत्र दरबारी लाल, जो दिवनपुर चौधरी, थाना-भोगॉव, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। प्रकरण में प्रथम केस- दिनांक 25/26.05.2007 को बन्दी ने रामजीत उम्र 13 वर्ष के साथ बुरा काम करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी।

द्वतीय केस- दिनांक 19.01.2009 को बन्दी ने कु0 सोनम उम्र 05 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त बुरी तरह से उसके शरीर के प्रति क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया तथा उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु प्रथम केस- बन्दी को सत्र परीक्षण सं0- 657/2007 भा0द0वि0 की धारा-302, 377 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / फास्ट टैक कोर्ट कोर्ट सं०-01, मैनपुरी के आदेश दिनांक 19.02.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

द्वितीय केस- बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-180/2009 भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201, 376 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट टैक कोर्ट कोर्ट सं०-01, मैनपुरी के आदेश दिनांक 04.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। प्रथम केस में बंदी ने दिनांक 26.12.2024 तक अपरिहार 15 वर्ष, 10 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष 03 माह, 14 दिन एवं द्वितीय केस दिनांक 26.12.2024 में अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 06 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी शातिर किस्म का अपराधी है उसके द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने पर समाज में स्वच्छन्द रहना जनहित में उचित नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 25/26.05.2007 को बन्दी ने रामजीत उम्र 13 वर्ष के साथ बुरा काम करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी एवं 19.01.2009 को बन्दी ने कु० सोनम उम्र 05 वर्ष के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

साथ बलात्कार करने के उपरान्त बुरी तरह से उसके शरीर के प्रति कुरता पूर्ण व्यवहार किया तथा उसकी हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा 02 वादों में हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी जसवन्त उर्फ कालिया पुत्र दरबारी लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जसवन्त उर्फ कालिया (बन्दी संख्या-16122) पुत्र श्री दरबारी लाल, निवासी जनपद-मैनपुरी की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-874/2025/107(1)/22-2-2025-17(107)/2025,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-874/2025/107/22-2-2025-17(107)/2025

दिनांकः 25 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जसवन्त उर्फ कालिया पुत्र दरबारी लाल, जो दिवनपुर चौधरी, थाना-भोगॉव, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। प्रकरण में प्रथम केस- दिनांक 25/26.05.2007 को बन्दी ने रामजीत उम्र 13 वर्ष के साथ बुरा काम करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी।

द्वतीय केस- दिनांक 19.01.2009 को बन्दी ने कु0 सोनम उम्र 05 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त बुरी तरह से उसके शरीर के प्रति क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया तथा उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु प्रथम केस- बन्दी को सत्र परीक्षण सं0- 657/2007 भा0द0वि0 की धारा-302, 377 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / फास्ट टैक कोर्ट कोर्ट सं०-01, मैनपुरी के आदेश दिनांक 19.02.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

द्वितीय केस- बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-180/2009 भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201, 376 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट टैक कोर्ट कोर्ट सं०-01, मैनपुरी के आदेश दिनांक 04.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। प्रथम केस में बंदी ने दिनांक 26.12.2024 तक अपरिहार 15 वर्ष, 10 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष 03 माह, 14 दिन एवं द्वितीय केस दिनांक 26.12.2024 में अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 06 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी शातिर किस्म का अपराधी है उसके द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने पर समाज में स्वच्छन्द रहना जनहित में उचित नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 25/26.05.2007 को बन्दी ने रामजीत उम्र 13 वर्ष के साथ बुरा काम करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी एवं 19.01.2009 को बन्दी ने कु० सोनम उम्र 05 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त बुरी तरह से उसके शरीर के प्रति कुरता पूर्ण व्यवहार किया तथा उसकी हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा 02 वादों में हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी जसवन्त उर्फ कालिया पुत्र दरबारी लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in